कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–सलूम्बर, राज.

दिनांक :–27.08.2025

कमांक :– 10

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र कमांक– सामान्य/II/03/2025/980 दिनांक 04.06.2025 द्वारा प्रेषित राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग की अधिसूचना कमांक प. 1(02) न्याय/2023 दिनांक 02.06.2025 द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सलूम्बर का नवस्थापन एवं नवसृजन होने के पश्चात् कार्यालय हाजा के पत्र कमांक : स्था/2025/37 दिनांक 03.07.2025 के माध्यम से माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश गहोदय, सलूम्बर से अनुमोदनार्थ निवेदन किया गया। जिस पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सलूम्बर के पत्रांकः स्था/प्रशा./2025/53ए दिनांक 04.07.2025 द्वारा अनुमोदन किये जाने पर कार्यालय हाजा के पत्र कमांक : 05 दिनांक 04.07.2025 द्वारा कार्यालय आदेश जारी करते हुए जिला सलूम्बर के पुलिस थानों से सम्बंधित दांडिक मामलों का क्षेत्राधिकार निर्धारित किया गया था। तत्समय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सलूम्बर में नियमित पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई थी। उस समय कार्यवाहक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सलूम्बर द्वारा पुलिस थाना लसाडिया और कूण का राजस्व क्षेत्राधिकार जिला सलूम्बर में सम्मिलित होने से क्षेत्राधिकार बाबत् उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 04.07.2025 जारी किया गया था। वर्तमान में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सलूम्बर में पीठासीन अधिकारी की नियमित नियुक्ति किये जाने के उपरांत जिला सलूम्बर के समस्त पुलिस थानों से सम्बंधित दांडिक क्षेत्राधिकार में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता प्रकट हुई और उसके लिए उक्त अधिसूचना के अनुसरण में एवं न्यायिक कार्यों के कुशल संचालन एवं क्षेत्राधिकार सम्बंधी स्पष्टता को बनाए रखने के लिए कार्यालय हाजा के पत्रांक : स्टेनो/2025/18 दिनांक 25.08.2025 द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला–सलूम्बर को अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला–सलूम्बर के पत्र कमांक : स्था./प्रशा./2025/206 दिनांक 26.08.2025 द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात् मैं विनीत कुमार, आर.जे.एस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सलूम्बर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12(1), 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र 08/पी.आई/2016 दिनांक 17.05.2016, परिपत्र 05/पी.आई/2017 दिनांक 18.03.2017 एवं परिपत्र 01/पी.आई/2022 दिनांक 03.01.2022 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए जिला सलूम्बर न्यायक्षेत्र के दाण्डिक मामलों की सुनवाई के सम्बंध में निम्न सारणी की कॉलम संख्या–2 में वर्णित न्यायालयों का कॉलम संख्या–3 में वर्णित पुलिस थानों से सम्बंधित दाण्डिक मामलों का क्षेत्राधिकार प्रदत्त करने के आदेश निम्न प्रकार प्रसारित करता हूं :–

1	2	3
क.सं.	**न्यायालय जिसे पुलिस थाने का क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है।**	**पुलिस थाना**
1	**वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–सलूम्बर**	**01.** पुलिस थाना सलूम्बर व पुलिस थाना कूण में उत्पन्न होने वाले भा.द.स./बी.एन.एस के तहत उद्भूत होने वाले सभी आपराधिक प्रकरण एवं पुलिस थाना सलूम्बर व कूण में उत्पन्न होने वाले सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, वन अधिनियम के मामले, वन्यजीव प्रतिरक्षण के मामले, प्रसाधन सामग्री अधिनियम के मामले, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा पुलिस थाना

		झल्लारा, गींगला, सराडा, जावरमाईंस व परसाद थाना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, धारा 409 भादस (316 बीएनएस), 420 भादस (318(4) बीएनएस), 467 (338 बीएनएस), 468 (338(2) बीएनएस), 471 (340 बीएनएस) के मामले। **02.** आबकारी थाना सलुम्बर एवं आबकारी वृत्त सलुम्बर के सभी आपराधिक प्रकरण। **03.** पुलिस थाना, साइबर, जिला–सलूम्बर में उद्भूत होने वाले सभी प्रकार के मामले।
2	**वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सलुम्बर**	**01.** पुलिस थाना लसाड़िया व सेमारी में उत्पन्न होने वाले भादस/बीएनएस के तहत दण्डनीय सभी आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाना क्षेत्र के आबकारी अधिनियम के तहत व्यत्पन्न प्रकरण। **02.** पुलिस थाना लसाड़िया व सेमारी के सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, वन अधिनियम के मामले, वन्यजीव प्रतिरक्षण के मामले, प्रसाधन सामग्री अधिनियम के मामले, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के मामले, धारा 409 भादस (316 बीएनएस), 420 भादस (318(4) बीएनएस), 467 (338 बीएनएस) 468 (338(2) बीएनएस), 471 (340 बीएनएस) के मामले। **03.** पुलिस थाना लसाडिया, कुण व सेमारी की परिसीमा में एवं सलुम्बर शहर न्यायक्षेत्र में व्युत्पन्न होने वाले धारा 138 एनआई एक्ट के सभी प्रकरण। **04.** महिला थाना सलूम्बर में उत्पन्न होने वाले भादस/बीएनएस से दण्डनीय सभी आपराधिक प्रकरण।
3	**सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सलूम्बर**	**01.** पुलिस थाना झल्लारा व गींगला में उत्पन्न होने वाले भादस/बीएनएस के तहत सभी आपराधिक प्रकरण एवं उक्त थाना क्षेत्र की परिसीमा में व्यत्पन्न होने वाले धारा 138 एन.आई एक्ट से सम्बंधित समस्त प्रकरण। **02.** पुलिस थाना झल्लारा, गींगला व कुण की परिसीमा में एवं सलुम्बर शहर न्याय क्षेत्र में व्युत्पन्न होने वाले मोटरवाहन अधि./यातायात/परिवहन विभाग से सम्बंधित समस्त प्रकरण। **03.** पुलिस थाना झल्लारा व गींगला में उत्पन्न होने वाले धारा 409 भादस (316 बीएनएस), 420 भादस (318(4) बीएनएस), 467 (338 बीएनएस), 468, (338(2) बीएनएस), 471 (340 बीएनएस) के मामलों को छोडकर शेष क्षेत्राधिकार।

4	**सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सराड़ा**	**01.** पुलिस थाना सराडा, जावरमाईन्स व परसाद में उत्पन्न होने वाले भादस/बीएनएस के तहत दण्डनीय सभी आपराधिक प्रकरण एवं धारा 138 एनआई एक्ट के समस्त प्रकरण। **02.** पुलिस थाना सराडा, जावरमाईन्स व परसाद में उत्पन्न होने वाले धारा 409 भादस (316 बीएनएस), 420 भादस (318 बीएनएस), 467 (338 बीएनएस), 468, (338(2) बीएनएस), 471 (340 बीएनएस) के मामलों को छोडकर शेष क्षेत्राधिकार।

नोट :–

1. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश से पूर्व उपरोक्त पुलिस थानों द्वारा जिन न्यायालयों में एफआईआर प्रस्तुत की जा चुकी है, उन एफआईआर से सम्बंधित नतीजा उन्हीं न्यायालयों में पेश किया जाएगा, जिन्हें पूर्व में क्षेत्राधिकार प्राप्त था।
2. उपरोक्त प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त ऐसा क्षेत्राधिकार जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो या उपरोक्त प्रस्ताव में अंकित नहीं हो, का क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सलूम्बर के पास होगा। इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की भ्रांति की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता से निर्देश प्राप्त किए जाएंगे।

27.08.2025

(विनीत कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला सलूम्बर (राज.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सलूम्बर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला सलूम्बर (राज.)

कमांक–स्था./2025/ 150–158 **दिनांकः– 27.08.2025**

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, सलूम्बर
3. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, सलूम्बर को संबंधित थानाधिकारियों को निर्देशित करने हेतु
4. न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सलूम्बर
5. न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सलूम्बर
6. न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सराड़ा, जिला–सलूम्बर
7. अभियोजन विभाग, सलूम्बर
8. बार एसोसिएशन, सलूम्बर
9. रक्षित प्रति कार्यालय हाजा।

27.08.2025

(विनीत कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सलूम्बर
जिला सलूम्बर (राज.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सलूम्बर
जिला सलूम्बर (राज.)